सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING

नौवहन महानिदेशालय, मुंबई
DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI

फा.सं.एसएल-एमआईएस-9(3)/2019 दिनांक : 25.10.2019

वाणिज्य पोत परिवहन विधि (एमएसएल) परिपत्र संख्या 01/2019

विषय : नौवहन महानिदेशालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित नौमनि द्वारा अनुमोदित समुद्रीय पाठ्यक्रमों को जीएसटी से छूट की प्रयोजनीयता पर स्पष्टीकरण ।

वाणिज्य पोत परिवहन (समुदकर्मियों हेतु प्रशिक्षण, प्रमाणन तथा निगरानी के मानक) नियम, 2014 के साथ पठित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अंतर्गत नौवहन महानिदेशक, भारत सरकार द्वारा समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों को अनुमोदन दिया जाता है ।

2. इन संस्थानों को नौवहन महानिदेशक, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित समुद्रीय पाठ्यक्रमों को आयोजित करने की अनुमति होती है ।

3. नौमनि अनुमोदित कुछ समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों ने नौवहन महानिदेशक, भारत सरकार की जानकारी में यह बात लाई है कि उनके द्वारा आयोजित पाठ्यक्रमों के संबंध में संबंधित राजस्व प्राधिकारियों द्वारा सेवा कर / जीएसटी से छूट देने से इन्कार किया गया है ।

4. निदेशालय द्वारा सेवा कर / जीएसटी से छूट दिए जाने के इन्कार करने के मुद्दे की जांच की गई और इसे केन्द्रीय अप्रत्यक्षकर बोर्ड तथा सीमाशुल्क (सीबीआईडीटी), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया ।

5. उक्त विभाग द्वारा नौवहन महानिदेशालय द्वारा भेजे गए उपर्युक्त मुद्दे को जांचा गया ।

6. मुद्दे को जांचने के बाद वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, (कर अनुसंधान एकक) ने यह स्पष्ट करते हुए दिनांक 11 अक्टूबर, 2019 को परिपत्र सं. 117/36/2019-जीएसटी जारी किया जिसमें कहा गया कि समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थान और उनके प्रशिक्षण पाठ्यक्रम नौवहन महानिदेशक द्वारा अनुमोदित हैं जो कि वाणिज्य पोत परिवहन (समुद्रकर्मियों हेतु प्रशिक्षण, प्रमाणन तथा निगरानी के मानक) नियम, 2014 के साथ पठित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अंतर्गत विधिवत मान्यता प्राप्त हैं । इसलिए, समुद्रीय संस्थान जीएसटी विधि के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थान हैं और उनके द्वारा आयोजित पाठ्यक्रमों को जीएसटी लागू किए जाने से छूट प्राप्त हैं । इस छूट के लिए यह शर्त होगी कि दिनांक 28.06.2017 के केन्द्रीय कर (दर) अधिसूचना संख्या 12 /2017 के क्रम सं. 66 पर विनिर्दिष्ट शर्तों पर खरा उतरा जाए । आवश्यक परिवर्तनों सहित यह स्पष्टीकरण संबंधित आईजीएसटी, यूपीजीएसटी, एसजीएसटी छूट अधिसूचनाओं की तद्नुरूपी प्रविष्टियों के अनुसार लागू होगा ।

--2

बीटा बिल्डिंग, 9वीं मंज़िल, आई थिंक टेक्नो कैम्पस,कांजूर गाँव रोड, कांजूरमार्ग (पूर्व) मुंबई-400042
9th Floor, BETA Building, I-Think Techno Campus, Kanjur Village Road, Kanjurmarg (E), Mumbai-400042
फ़ोन/Tel No.: +91-22-2575 2040/1/2/3 फैक्स/Fax.: +91-22-2575 2029/35 ई-मेल/Email: dgship-dgs@nic.in वैबसाइट/Website: www.dgshipping.gov.in

7. उक्त का लाभ लेने हेतु, नौमनि अनुमोदित समुद्रीय पाठ्यक्रमों को आयोजित करने वाले नौमनि अनुमोदित समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थान 11 अक्टूबर, 2019 के उपर्युक्त परिपत्र का प्रयोग करें। इस परिपत्र की प्रति एतद्वारा अवलोकनार्थ संलग्न है।

8. इसे नौवहन महानिदेशक एवं अपर सचिव, भारत सरकार के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

(आश मोहम्मद)
उप नौवहन महानिदेशक (एमएसएल)

संलग्न : यथोक्त

प्रति :

1. नौवहन महानिदेशालय की वैबसाइट के माध्यम से भारत के सभी नौमनि अनुमोदित समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थान।

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. सचिव, भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001.
2. उप नौवहन महानिदेशक (प्रशिक्षण, नौमनि, भारत सरकार)